न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर झाँसी।

दिनांक- ११. १०. २०२२

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र **प्रार्थी/ अभियुक्त मूलचन्द्र तनय हल्काई कुशवाहा** की ओर से मु०अ०सं०- १५/ २०२१(दाण्डिक वाद संख्या- ७०२/ २०२१), सरकार बनाम मूलचन्द्र, अन्तर्गत धारा- ६० उ०प्र० आबकारी अधिनियम, थाना- कटेरा, जिला- झाँसी में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसके पास से कोई नाजायज शराब बरामद नहीं हुई है, अपराध जमानतीय है, प्रार्थी/ अभियुक्त जमानत मुचलका देने को तैयार है। उक्त आधार पर प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध जमानतीय होने का कथन कर जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के पास से ४० लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद होने का अभियोग है। अभियुक्त स्वयं न्यायालय उपस्थित होकर आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा जमानत मुचलका देने को तैयार है एवं प्रकरण में नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का कथन किया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **प्रार्थी/ अभियुक्त मूलचन्द्र तनय हल्काई कुशवाहा** को उसकी ओर से **मु०- बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि के **दो जमानती** प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

१- प्रार्थी/ अभियुक्त इस केस में नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

२- प्रार्थी/ अभियुक्त इस न्यायालय के बिना पूर्व अनुमति के इस देश को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा।

३- प्रार्थी/ अभियुक्त न तो अभियोजन के गवाहान को डरायेगा न धमकायेगा तथा न ही अभियोजन साक्ष्य के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ करेगा।

४- प्रार्थी/ अभियुक्त के स्वयं के घर के पते एवं उसके जमानतियों के घर के पतों में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना प्रार्थी/ अभियुक्त तुरन्त न्यायालय में पेश करेगा।

५- प्रार्थी/ अभियुक्त इस केस में जब न्यायालय में अभियोजन के गवाहान साक्ष्य हेतु उपस्थित होगा तब किसी किस्म की व किसी आधार पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा।

६- प्रार्थी/ अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपने केस के शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय का पूरा सहयोग करेगा, और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म कोई अवरोध/ व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही उसको दी गई जमानत का किसी भी तरीके से दुरूपयोग करेगा।

(अभिनव यादव- द्वितीय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर
झांसी।
J. O. Code No. - UP03297

Digitally signed by ABHINAV YADAV
Date: 2022.10.11 16:49:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court